न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/91/17	27–06–2017	17–07–2018

01. अरूण कुमार जैन पुत्र छोटे लाल जैन उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, ग्राम पंचायत दॉतिया तहसील कठूमर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 05–12–2016 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 610/1992

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त खाघ आयुक्त, खाघ नागरिक एवं आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 17–05–2017 की पालना में यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 05–12–2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 610/1992 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत उसके परिवारजन द्वारा आपसी रंजिशवश की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो कोई जांच की गई है और ना ही अपना विवके इस्तेमाल किया गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित किया जाता है तो उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलीय निर्णय का जो मुख्य आधार जिला रसद अधिकारी द्वारा लिया गया है वो अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की बाबत जांच रिपोर्ट दिनांक 23–08–2016 एवं उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस दिनांक 25–11–2016 जिसका जवाब दिनांक 05–12–2016 को प्रस्तुत किया गया था। जांच अधिकारी सतर्कता शाखा खाघ विभाग द्वारा दिनांक 23–08–2016 को प्रारम्भिक जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 29–08–2016 को अतिरिक्त खाघ आयुक्त महो0 जयपुर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

को प्रेषित की गई, जिस पर विभाग द्वारा दिनांक 20–09–2016 को एक पत्र जिला रसद अधिकारी अलवर को प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें। परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट से या उसकी दूकान से संबंधित कोई जांच नही की गई, बिना जांच किये प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई जांच स्वयं द्वारा नही की गई और ना ही अपीलान्ट के रिकार्ड की जांच ना ही उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किये गये, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलान्ट के विरूद्व सम्पूर्ण कार्यवाही राजनैतिक कारण, पारिवारिक रंजिशवश पर बनाया गया है। जिला अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब कारण बताओं नोटिस दिनांक 05–12–2016 को दिनांक 06–12–2016 को अभिलेख पर लिया गया और निर्णय बेक डेट में दिनांक 05–12–2016 को ही पारित कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलीय आदेश दिनांक 05–12–2016 में अपीलान्ट के जवाब पेश करने का तथ्य अंकित है। जिला रसद अधिकारी अलवर की मंशा प्रारम्भ से ही अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र निरस्त करने की थी। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नहीं थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट को जो नोटिस दिया गया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट पर लगाये अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्च आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दियें जावें। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में आर एल डब्लू 2003 (4) एस सी पेंज 509 नजीरे पेश की गई।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकारी पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है, प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट के विरूद्व वितरण में गम्भीर अनियमितता निर्धारित मात्रा से कम राशन सामग्री देना, उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करना आदि की गम्भीर शिकायतकर्ताओं से प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में भी उपस्थित हुआ और ना ही कार्यालय में उपस्थित होकर कोई रिकार्ड वास्ते जांच पेश किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। यह अपील माननीय अतिरिक्त खाघ आयुक्त खाघ नागरिक एवं आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 17–02–2017 से मियाद का समय मानते हुऐं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि जिला अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब कारण बताओं नोटिस दिनांक 05–12–2016 को दिनांक 06–12–2016 को अभिलेख पर लिया गया और निर्णय बेक डेट में दिनांक 05–12–2016 को ही पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही है अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत उसके परिवारजन द्वारा आपसी रंजिशवश की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो कोई जांच की गई है ना ही अपना विवके इस्तेमाल किया गया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित किया जाता है तो उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता नही की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने जवाब तहत अदालत में दिनांक 05–12–2016 को पेश किया गया है और जवाब पर मार्कनिंग दिनांक 06–12–2016 को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा की हुई है। तहत अदालत की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 07–11–2016 में अप्रार्थी अनुपस्थित दिखाते हुए, डीलर को अन्तिम बार नोटिस जारी करें पत्रावली दिनांक 21–11–2017 को पेश हों। आदेशिक दिनांक 05–12–2016 को नही लिखी हुई है और अपीलान्ट के हस्ताक्षर कराये हुऐं है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जॉच से पूर्व ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करना प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त रखते हुऐं जिला रसद अधिकारी अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधर पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **17–07–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)